27

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
एस0एस0अली
सदस्य

प्रकरण कमांक : तीन–निगरानी/सीहोर/भू.रा./2017/3316 – विरूद्व आदेश दिनांक 6–6–2017 – पारित व्दारा – राजस्व निरीक्षक, नसरूल्लागंज तहसील सीहोर – प्रकरण कमांक 77 अ 12/2016–17

गुलाब सिंह बल्द लक्ष्मीानारायण
कृषक मंजाखेड़ी निवासी ग्राम मगरिया
तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर ———आवेदक

विरूद्व

घूमसिंह बल्द छीतर सिंह
ग्राम भगरिया तहसील नसरूल्लागंज
जिला सीहोर मध्य प्रदेश ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जगदीश जैन)

आ दे श

(आज दिनांक 6 – 03 –2018 को पारित)

राजस्व निरीक्षक, नसरूल्लागंज तहसील सीहोर के प्रकरण कमांक 77 अ 12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 6–6–2017 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने आवेदन प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की ग्राम मंजीखेड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 48/1/1/2 क एंव 48/1/1/2 ग रकबा 1.997 हैक्टर के सीमांकन की मांग की। राजस्व निरीक्षक, नसरूल्लागंज तहसील सीहोर ने प्रकरण कमांक 77 अ 12/2016–17 पंजीबद्व किया तथा दिनांक 2–6–17 को मौके पर सीमांकन करते

हुये सीमाचिन्ह निर्धारित कराये तथा दिनांक 6–6–17 को आदेश पारित कर सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी ने 2–6–17 को सूचना दिये बिना एकपक्षीय सीमांकन किया है तथा अनावेदक की भूमि आवेदक के कब्जे में होना गलत बताई है। समस्त कार्यवाही एकपक्षीय की गई है । सीमांकन का नियम है कि पड़ौसी कास्तकारों को सूचना दी जाना चाहिये, किन्तु कोई सूचना नहीं दी गई। सीमांकन की जानकारी आवेदक को तब हुई, जबकि तहसील न्यायालय से धारा 250 का नोटिस प्राप्त हुआ। इसके वाद प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर यह जानकारी के दिन से समय के भीतर निगरानी की गई है। निगरानी स्वीकार की जाकर दुवारा सीमांकन के आदेश दिये जॉय।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 3–6–17 (जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि स्वयं आवेदक ने प्रस्तुत की है) के अवलोकन पर स्थिति यह है। सीमांकन प्रतिवेदन में अंकित है कि :–

" उपस्थित पंचों के समक्ष दिनांक 2–7–17 को सीमांकन किया गया। सीमांकन कर सीमायें समझाई गई। सीमांकन के दौरान पड़ौसी कृषक गुलाब सिंह आ. लक्ष्मीनारायण निवासी मगरिया के कब्जे में .700 हैक्टयर भूमि निकली। सीमांकन के समय पड़ोसी कृषक मौके पर उपस्थित रहे, जिसमें गुलाब सिंह ने पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से मना किया। "

सीमांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय आवेदक मौके पर उपस्थित रहा है और उसने पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये है। जहां तक अनावेदक के स्वामित्व की उसके कब्जे में .700 हैक्टयर भूमि होने का प्रश्न है, यदि आवेदक इस भूमि को स्वयं की होना मानता है एंव वह राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये सीमांकन से संतुष्ट नहीं है, तब वह अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से ई.टी.एस.एम. मशीन व्दारा स्वंय् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में उसे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने

की पात्रता नजर नहीं आती है और इन्हीं कारणों से राजस्व निरीक्षक, नसरूल्लागंज तहसील सीहोर के प्रकरण कमांक 77 अ 12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 6–6–2017 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक, नसरूल्लागंज तहसील सीहोर व्दारा प्रकरण कमांक 77 अ 12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 6–6–2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर